न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
54 / 2019	दावा 88, 188 RTA व 136 LRA	05.07.2019	23.07.2019

भादरराम पुत्र स्व. कानाराम जाति नायक निवासी ग्राम बीनासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरोहित वादी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि वादी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 313 तादादी 9.0548 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 329 तादादी 8.6881 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 17.7429 हैक्टेयर वाके रोही पोटी तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है, जिसके खातेदार वादी के पिता कानाराम थे, जिनके फौत होने पर उनका विरासतन इंतकाल नामान्तकरण दर्ज हुआ है। यह कि उक्त विरासतन इंतकाल में वादी का नाम भादरराम की जगह भादर, वादी की बहन विमला देवी का नाम गुडी व वादी की बहन परमेश्वरी का प्रेम का त्रुटिवश दर्ज हो गया है। यह कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी भादर का वास्तविक नाम भादरराम, वादी की बहन गुडी का वास्तविक नाम विमलादेवी व वादी की बहन प्रेम का नाम वास्तविक नाम परमेश्वरी है और ये एक ही व्यक्ति के नाम है, जिनका नाम अशुद्ध हो गया है। यह कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम में त्रुटि होने से वादी व उसकी बहनों को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड आदि में उनके सही नाम है। नामों में त्रुटि होने से वादी व उसकी बहनों को काफी परेशानी हो रही है ना ही क्लेम आदि मिल पा रहा है व वादी की माता माली पत्नी कानाराम व वादी की बहिन विमलादेवी का देहांत हो चुका है व वादी की बहिन विमलादेवी के क्लेम व नामांतरकरण व वारिसान को मिलने वाले राजकीय सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। वादी की बहिन विमलादेवी पत्नी भंवरलाल नायक का ससुराल कस्बा चूरू में है, व उसके समस्त दस्तावेजात विमलादेवी के नाम से है, तथा वादी की बहिन परमेश्वरी पत्नी सीताराम की ससुराल ग्राम रामसरा तहसील व जिला चूरू में है तथा उसके समस्त दस्तावेजात परमेश्वरी के नाम से है व वादी के भाई सांवताराम तथा बहिन भगवानी व तीजा व माता माली व पिता कानाराम व चाचा बिड़दाराम का नाम सही तथा शुद्ध है तथा वादी अपनी माता व बहिन

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

विमलादेवी के इंतकाल हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी ने तहसीलदार से नाम शुद्ध करवाने बाबत कहा, तो वादी ने तहसीलदार महोदय, चूरू से निवेदन करने पर तहसीलदार महोदय ने उक्त दावा इस बाबत अदालतवाला में करने का कहने पर दिनांक 28.06.2019 को वादाधार प्राप्त हुआ व वादगत रकबा अदालतवाला के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है।

यह कि नाम संशोधन से किसी भी पक्षकार को कोई क्षति होने का कोई अंदेशा नहीं है एवं न्यायहित में इसे दुरूस्त किया जा सकता है तथा दिनांक 28.06.2019 को प्रतिवादी को एक प्रार्थना पत्र नाम में संशोधन करने बाबत दिया तो उन्होने नाम में संशोधन नहीं करने व दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है। वादी उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से उन्हें वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। यह कि वादगत कृषि भूमि रोही पोटी तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके सम्बन्ध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर नम्बर 313 तादादी 9.0548 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 329 तादादी 8.6881 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 17.7429 हैक्टेयर वाके रोही पोटी तहसील व जिला चूरू में खातेदार भादर की जगह भादरराम, गुडी की जगह विमलादेवी व प्रेम की जगह परमेश्वरी संशोधित किये जाने का आदेश व डिक्री जारी फरमायी जावे व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि डिक्री अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड कराया जावे व अन्य अनुतोष हितकार वादी हो या हो जावे, वो भी वादी को प्रदान फरमाया जावे।

वादी द्वारा पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार, चूरू ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी की ओर से पेश जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद संख्या 1 सत्य अंकित होने से कोई एतराज नहीं है। यह कि दावा की मद संख्या 2 लाईल्मी की वजह से एतराज नहीं है। यह कि दावा की मद संख्या 3 से कोई एतराज नहीं है। वादी स्वयं साबित करें। यह कि दावा की मद संख्या 4 में अंकित अनुसार वादी दस्तावेजात से साबित करावे। यह कि दावा की मद संख्या 5 व 6 कानूनी होने से जवाब तलब नहीं है। प्रतिवादी ने अपने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि खेत खसरा नम्बर 313, 329 रोही मौजा पोटी तहसील व जिला चूरू में खातेदार भादर की जगह भादरराम, प्रेम की जगह परमेश्वरी व गुडी की जगह विमला संशोधित किया जाता है, तो राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होना है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधि अनुसार कार्यवाही सादिर फरमायी जावे।

तहसीलदार, चूरू की ओर से जवाब पेश होने पर वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादी की ओर से इकबाल जवाब पेश हुआ है इसलिए दावा में तनकी निर्माण की कोई

उपखण्ड अधि
चूरू

आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् को ही साक्ष्यवादी माना जाकर बहस सुनी जावे। जिस पर उभय पक्षकारान बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी भादरराम एवं उसकी बहनों विमलादेवी व परमेश्वरी का नाम उनका घर परिवार में बोला जाना वाला अशुद्ध नाम क्रमशः भादर, गुड्डी व प्रेम दर्ज चला आ रहा है जबकि इनका वास्तविक सही एवं दस्तावेजी नाम क्रमशः भादरराम, विमलादेवी व परमेश्वरी है। इनके समस्त दस्तावेजों में भी यही नाम अंकित है। राजस्व अभिलेख एवं दस्तावेजों में भिन्न-भिन्न नाम अंकित होने से उक्त कृषि भूमि पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओं एवं सहायता का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है तथा काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राजस्व अभिलेख में वादी व उसकी बहिनों का दस्तावेजी व वास्तविक शुद्ध नाम की घोषणा करवा कर रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए यह दावा पेश किया गया है। हमने दावा के साथ वादी व उसकी बहिनों के दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किये हैं जिससे दावा साबित होता है। प्रतिवादी की ओर से इकबाल जवाब पेश हुआ है तथा वादी व उसकी बहिनों का नाम शुद्ध किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे। पैरोकार राज ने अपनी बहस में जाहिर किया कि दावा में चाहा गया संशोधन किया जाने से राजस्व रिकॉर्ड व राज्य सरकार के राजस्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। इसलिए नियमानुसार कार्यवाही फरमाई जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में अपना एवं अपनी बहनों के अशुद्ध दर्ज नामों को दस्तावेजों में अंकित रूप से शुद्ध करवा कर अभिलेख में दर्ज करवाना चाहा है। वादी के दावा के जवाब में तहसीलदार, चूरू ने उक्त नामों को शुद्ध किया जाने से राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना अंकित किया है। दावा के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम पोटी के ख.नं. 313, 329 कुल तादादी 17.7429 हैक्टेयर में वर्तमान में वादी भादरराम का नाम भादर पुत्र कानाराम 1/14 हिस्सा, वादी की बहन विमलादेवी का नाम गुड्डी पुत्री कानाराम 1/14 हिस्सा एवं बहन परमेश्वरी का नाम प्रेम पुत्री कानाराम 1/14 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है जिनके साथ कतिपय अन्य सह खातेदार भी मौजूद हैं। उक्त जमाबन्दी में विमलादेवी का स्वर्गवास हो जाने से उसके वारिसों के नाम नामान्तरकरण संख्या 1002 दिनांक 02.07.2019 को दर्ज हुआ है जिनकी वल्दियत में विमलादेवी की बजाय गुड्डी अंकित है। वादी द्वारा पेश परिवार राशन कार्ड संख्या 007053100301 में वादी का नाम भादरराम पुत्र कानाराम अंकित है। आधार कार्ड संख्या 751081313845 में भादरराम पुत्र कानाराम अंकित है। मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/03/020/483381 में भी वादी का नाम भादरराम पुत्र कानाराम अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत बीनासर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 03.08.2016 के अनुसार गुड्डी पुत्री कानाराम व विमला दोनों नाम एक ही महिला का होना प्रमाणित किया है। नगर परिषद् चूरू द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र विमलादेवी दिनांक 21.12.2017 के अवलोकन से जाहिर है कि वादी की बहिन गुड्डी उर्फ विमलादेवी की मृत्यु दिनांक 18.12.2017 को हो चुकी है। राजस्व विभाग द्वारा जारी जाति

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रमाण पत्र कमांक 170048040776 दिनांक 06.07.2017 के अनुसार श्रीमती विमलादेवी पुत्री कानाराम पत्नी भंवरलाल निवासी चान्देला मोहल्ला, वार्ड नं. 18 चूरू जाति नायक की है जो अनुसूचित जाति की है। आधार कार्ड सं. 880014187474 में वादी की बहिन का नाम परमेश्वरी पत्नी सीताराम निवासी खाती व जाटों का मोहल्ला, रामसरा अंकित है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा कलेक्ट्रेट, चूरू के खाता संख्या 61271908064 में परमेश्वरी पत्नी सीताराम अंकित है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजात् से यह स्पष्ट होता है कि वादी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम भादर के बजाय भादरराम, वादी की दोनों बहिनों का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम विमलादेवी व परमेश्वरी है। राजस्व अभिलेख एवं दस्तावेजों में भिन्न–भिन्न नाम दर्ज होने से वादी एवं उसकी बहिनों को विधिक रूप से कठिनाई होना स्वाभाविक है। वादी ने अपने दावा में स्वयं के नाम के साथ–साथ अपनी बहिनों विमलादेवी व परमेश्वरी के अशुद्ध नामों को दुरुस्त करवाने की मांग की है तथा उक्त तथ्य को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है। मृत्यु प्रमाण पत्र विमलादेवी के अवलोकन ये यह तथ्य भी सामने आया है कि वादी की एक बहिन विमलादेवी का स्वर्गवास हो चुका है तथा जमाबन्दी में विमलादेवी के वारिसों के नाम नामान्तरकरण संख्या 1002 दिनांक 02.07.2019 को दर्ज हुआ है जिनकी वल्दियत में विमलादेवी की बजाय गुड्डी अंकित है। वादी एवं उसकी बहिने वादगत कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार है जिनके समस्त दस्तावेजों में उनका नाम भादरराम पुत्र कानाराम, विमलादेवी पुत्री कानाराम एवं परमेश्वरी पुत्री कानाराम दर्ज है। इसलिए वादगत कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में अपने गलत रूप से दर्ज नामों के स्थान पर शुद्ध व वास्तविक दस्तावेजी नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दावा वादी की स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 313, 329 तादादी कमशः 9.0548, 8.6881 कुल तादादी 17.7429 हैक्टेयर रोही ग्राम पोटी तहसील चूरू में अंकित भादर पुत्र कानाराम, प्रेम पुत्री कानाराम एवं राजेन्द्रकुमार, लीलाधर, तारामणी, लोकेशकुमार, सुभाष, सुमन पुत्र–पुत्रियां गुड्डी पुत्री कानाराम के स्थान पर कमशः भादरराम पुत्र कानाराम, परमेश्वरी पुत्री कानाराम एवं राजेन्द्रकुमार, लीलाधर, तारामणी, लोकेशकुमार, सुभाष, सुमन पुत्र–पुत्रियां विमलादेवी पुत्री कानाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने का आदेश दिया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

भादरराम पुत्र स्व. कानाराम जाति नायक निवासी ग्राम बीनासर तह0 व जिला चूरू (राज.)
–वादी–

<u>बनाम</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
–प्रतिवादी–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>
मुकदमा नं. 54 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री राजेन्द्रकुमार राजपुरोहित व श्री मंगलसिंह एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 313, 329 तादादी क्रमशः 9.0548, 8.6881 कुल तादादी 17.7429 हैक्टेयर रोही ग्राम पोटी तहसील चूरू में अंकित भादर पुत्र कानाराम, प्रेम पुत्री कानाराम एवं राजेन्द्रकुमार, लीलाधर, तारामणी, लोकेशकुमार, सुभाष, सुमन पुत्र–पुत्रियां गुड्डी पुत्री कानाराम के स्थान पर क्रमशः भादरराम पुत्र कानाराम, परमेश्वरी पुत्री कानाराम एवं राजेन्द्रकुमार, लीलाधर, तारामणी, लोकेशकुमार, सुभाष, सुमन पुत्र–पुत्रियां विमलादेवी पुत्री कानाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23 माह जुलाई सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू